

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उत्प्राप्त गांवों के संग

अभियान-2021

ग्राम पंचायत सैमलपुरा

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती शारदा देवी

बनाम

अरविन्द

सम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 184/2021 9'पज

रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

02/10/2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्यामलाल जी खरीक

पिता श्री

निवासी- खरीक मोहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

सैमलपुरा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1354 रकबा 0.10

1355 रकबा 0.16

कुल कीता 2 कुल रकबा 0.26 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सैमलपुरा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1354 रकबा 0.10, 1355 रकबा 0.16

कुल कीता 2 रकबा 0.26 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 800.00 रुपये अक्षरे 318 ली रकबा प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

